



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1945 (श10)
(सं० पटना 1012) पटना, शुक्रवार, 15 दिसम्बर 2023

उद्योग विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर 2023

सं० 5/स० बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र)-09/2022/6975—बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 7333/Estt दिनांक 27.11.2023, पत्रांक 7334/Estt दिनांक 27.11.2023 एवं पत्रांक 7335/Estt दिनांक 27.11.2023 द्वारा अनुशंसित क्रमशः मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा अंचल के मौजा-रसलपुर धुरिया (कलाशन बाजार), थाना सं०-130, रकवा 146.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, चौसा के रूप में, खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता अंचल के मौजा-सौढ़, थाना सं०-347 खाता सं०-1160 रकवा 100.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, परबत्ता के रूप में एवं गया जिला अंतर्गत मानपुर अंचल के मौजा-शादीपुर, थाना सं०-246 खाता सं०-338 रकवा 23.00 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, मानपुर के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1012-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>